# भारत में भ्रष्टाचार :चुनौतियाँ एवं निवारण के उपाय

**डॉ0 उमारतन यादव,**

*एसोसिएट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग,*
*बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,झाँसी,उ.प्र.*

## शोध सारांश

*भ्रष्टाचार या कदाचार के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं परंतु मुख्यतः वह तीन प्रकार (नजराना,जबरन,शुक्रियाना) का होता है। हॉलाकि यह वर्गीकरण काफी पुराना है। भ्रष्टाचार का पहला प्रकार–नजराना अर्थात वह धनराशि या सामग्री जो शासक या उसके प्रतिनिधि को आमजनों द्वारा भेंट में दी जाती है। व्यापारियों और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो चाहते थे कि उनकी सामान्य जिंदगी में कोई विघ्न–बाधा न आए, से शासक वर्ग की अपेक्षा रहती थी कि वे उन्हें नजराना चुकाएँ। इसमें लेन–देन की राशि इतनी कम होती है कि उसे रिश्वत न भी माना जाए तो गलत न होगा। भ्रष्टाचार का दूसरा प्रकार है –जबरन। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यह जबरदस्ती वसूल किया जाने वाला धन है। वह धन जो हर छोटे–बड़े ठेकेदारों को हर स्तर पर चुकाना पड़ता है, जबरन वसूली के अंतर्गत आते हैं। पार्टियों द्वारा शासक वर्गों से या फिर ठेकेदारों एवं व्यापारियों से चंदा–उगाही जैसे धन को हम जबरन वसूली के श्रेणी में रख सकते हैं। भ्रष्टाचार का तीसरा स्वरूप है–शुक्रियाना अर्थात काम के बदले में दी जाने वाली धन को शुक्रियाना कह सकते हैं। शासन तंत्र के छोटे तबके जैसे पटवारी, क्लर्क, पुलिस सिपाही आदि को छोटी–मोटी जानकारी उपलब्ध कराये जाने के बदले में चंद रूपये भेंट स्वरूप दी जाने वाली राशि को इस श्रेणी में रखा जाता है। यह सिर्फ शुक्रिया कहने का एक तरीका है।भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है कि जिसे आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग द्वारा महसूस किया जा रहा है। इस समस्या का सम्बन्ध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट से भी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरूपयोग करता है और इससे उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे को जिम्मेदार मानता है। यही वह संकट है जिसके कारण सामाजिक पुनर्निर्माण के सभी प्रयत्न असफल हो गये हैं।*

**मूल शब्द–** *भारत में भ्रष्टाचार, आचरणहीनता,चुनौतियाँ,निवारण के उपाय*

विश्वगुरू मानी जाने वाली भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है– आचार और विचार की शुद्धता। धन, पद, एवं उपाधि से किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता बल्कि मनुष्य की मनुष्यता तो उसके व्यवहार एवं आचरण में झलकती है। भारत ही नहीं बल्कि हर देश में, हर समय पर, हर धर्म में मानव जीवन की मर्यादा के एक जैसे मानक और सिद्धान्त स्वीकृत व स्वीकार किए गए हैं। ये सिद्धान्त सत्यनिष्ठा, कर्तव्य–परायणता, निस्वार्थ कर्म, मानव मात्र के प्रति सहानुभूति एवं उपकार आदि हैं। मनुष्य द्वारा किए गए जो कार्य औचित्य के विरूद्ध होंगे वह अनुचित होंगे और निश्चित है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आयेंगे।

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग–अलग समस्याएँ हुआ करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के समक्ष भी अनेक प्रकार की समस्याएँ चाहे आन्तरिक हो या वाह्य समस्याओं से

तो भारतीय एक जुट होकर उसके निदान के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है, परन्तु आन्तरिक समस्याओं के समाधान हेतु वह एक हद तक असफल होता नजर आता है। इन समस्याओं में सबसे गम्भीर समस्या है –भ्रष्टाचार। चाहे प्रसाशन हो या जनता इससे निजात पाने में अक्षम है– कारण सभी देशवासी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों के समक्ष देश या समाज के हित मानव उसकी उपेक्षा कर बैठा है। कहने को तो हमारे देश के नायक बड़ी–बड़ी बातें करते हैं। देश और समाज की उन्नति की बड़ी–बड़ी योजनाएँ बनाते हैं। लेकिन उनकी ये योजनाएँ भाषणों तथा फाइलों में दबकर रह जाती हैं। जिस योजनाओं पर अमल भी हुआ तो वहाँ से चलकर जनता तक आते–आते एक तिहाई ही रह जाती हैं।

आज भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गयी हैं कि राष्ट्र का कोई नागरिक उसकी परिधि से मुक्त नहीं दिखलाई पड़ रहा है और सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर नित नये–नये आरोप साबित हो रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति रिश्वत या जान–पहचान के बल पर बेदाग घोषित हो जाता है और बेधड़क भ्रष्टाचार व अनाचार का बाजार गर्म होने लगता है।

हजारों वर्षों की दासता ने हमारे चरित्र को इतना गिरा दिया है कि हम भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकते। इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, काला बाजारी, सिफारिस, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि[1]. का खुलकर ताण्डव हो रहा है। प्रशासन का कोई अंग भी इस भ्रष्टाचार के संक्रामक रोग से अछूता नहीं बच सका। स्वतंत्रता–प्राप्ति के पचात्[2]. पूँजीपतियों नें भ्रष्टाचार को पनपाने में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह वर्ग राष्ट्रीय पूँजी को एकत्र करने में जुट गया और अपनी पूँजी की सुरक्षा के लिए प्रसाशन को रिश्वत आदि का प्रलोभन देकर अपने अधीन कर लेता है। जिससे आचरणहीनता और भ्रष्टाचार को बल मिला। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों से संयुक्त होकर बना है भ्रष्ट + आचार अर्थात् जिसका आचार (आचरण) भ्रष्ट या दूषित हो । पंचम बंद स्वरूप महाभारत में आचार को ही परम धर्म कहा गया है :–

''आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तो स्मार्त एव च'' ।

**:– महाभारत शान्ति पर्व**

इलियट व मैरिल के अनुसार 'प्रत्यक्ष' अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति करने हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार पर तीन अध्याय हैं। इस अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के चालीस प्रकारों का उल्लेख है। और भ्रष्टाचार के अरोपों में दोष–सिद्ध व्यक्तियों के लिये जुर्माना, कैद तथा देश के निष्कासन आदि का प्राविधान है। मनुस्मृति में भी इसे अपराध माना गया है। भले ही यह ब्राह्मण द्वारा ही किया गया क्यों न हो। रोमन सिविल कानून तथा इंग्लैड के कामन लॉ में लोक जीवन में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध मानते हुऐ इसके लिये भारी दण्ड का प्राविधान है।

## भ्रष्टाचार के प्रकार

वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट ने भ्रष्टाचार को छः प्रकारों में वर्गीकृत किया है।

**प्रशासनिक भ्रष्टाचार** :– नीति के क्रियान्वयन में हेरफेर कर देना, जैसे योग्यता या आयु सीमा कम होने पर भी लाइसेंस बनवा देना ।

**राजनीतिक भ्रष्टाचार** :– कानून के प्रतिपादन नियमन और योजनाओं को प्रभावित करना एवं रिश्वत लेना, भयभीतकर अथवा लोभ देकर वोट क्रय करना इसमें शामिल है।

**लोक भ्रष्टाचार** :– जनता की सुविधा हेतु बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभार्थ करना ।

**निजी भ्रष्टाचार** :– व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला भ्रष्टाचार निजी भ्रष्टाचार कहलाता है। यथा माफिया का स्थानीय व्यापारियों से रूपये लेना ।

**वृहद् भ्रष्टाचार** :– इसमें रूपयों का भारी लेन–देन शामिल है। प्रायः इसमें उच्च अधिकारी शामिल होते है ।

**लघु भ्रष्टाचार** :– कम रूपयों के लेने–देने से जुड़े भ्रष्टाचार में छोटे स्तर के कर्मचारी शामिल होते हैं।

सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण, भ्रष्ट आचरण समझा जाता है। भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या तो है ही, किन्तु भारत में यह बीमारी कुछ ज्यादा ही गम्भीर हो चली है। भारत, जिसकी चिर परिचित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली पर हम गर्व करते हैं दुनिया के भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में आ गया है। भररत की लोकतन्त्र की परिभाषा ही विकृत हो गई है। लोकतन्त्र का अर्थ होता है – लोगों का तन्त्र, लेकिन भारतीय लोकतन्त्र में तन्त्र लोगों पर हावी हो गया है। देखा जाये तो भ्रष्टाचार किसी भी व्यक्ति का वह आचरण या व्यवहार है जो वह अपनी मान्य परिस्थति या भूमिका की वास्तविक स्थिति से नीचे गिरकर या हटकर करता है। वह सदाचार या उचित आचरण के विपरीत निम्न स्तरीय व्यवहार है जो निजी स्वार्थपूर्ति हेतु विशेष रूप से आर्थिक लाभ और भी गलत तरीकों से लेने में किया जाता है। किन्तु अब विडम्बना यह है कि भ्रष्टाचार लोगों की आपसी सहमति से पनपता और फलता फूलता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भ्रष्टाचार एक प्रकार का ''एनोमिक व्यवहार है'' जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत जीवन के लक्ष्यों एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में समाज के ही मान्यता प्राप्त एवं मानव नियम–उपनियमों को लोग दरकिनार करते हैं तथा उनके द्वारा नये व्यवहारिक नियम बना लिये जाते हैं।

आर्थिक भ्रष्टाचार का उद्भव अपना कार्य करवाने के लिये मंत्रियों एवं अन्य नौकरशाहों को अवैध रूप से मोटी मोटी रकमें देना लोकतात्रिक शासन प्रणाली में विधायिका में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये सांसदों और विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिये उनका क्रय–विक्रय तथा कारपोरेट जगत द्वारा अपने मन मुताबिक आर्थिक नीतियाँ निर्धारित कराने के लिये राजनैतिक दलों को अवैध तरीके से चन्दा देना या नौकरशाहों की जेब को गर्म करना आधुनिक आर्थिक भ्रष्टाचार के कतिपय उदाहरण हैं।

वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो आधुनिक भ्रष्टाचार का उद्भव यूरोप में उपनिवेशवाद, सामाज्यवाद की ही छत्रछाया में हुआ है। इतिहास गवाह है कि नैतिक मूल्यों की दुहाई देने वाले अग्रजों ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये वहाँ के कतिपय शासकों अथवा सत्ता के लिये आतुर चन्द विद्रोहियों को मोटी मोटी राशि या धन देकर पहले अपने पक्ष में मिलाया फिर उन्हें स्थानीय शासक बनाकर इसकी कीमत वसूली। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधि भारतीय व्यापारियों, जमीदारों, ठेकेदारों से **'डाली'** लिया करते थे। अंग्रेज अपने राष्ट्र एवं जाति के प्रति समर्पित एवं वफादार क्यों न रहे हों उन्होंने अपने आधीन उपनिवेशों के नागरिकों को घूस लेने और देने की कला में प्रवीणता अवश्य प्रदान की। यूरोप के अन्य देश भी इस कला में पीछे नहीं रहे। इटली को आज विकसित देशों में सबसे अधिक भ्रष्ट देश माना जाता है।

वर्तमान में पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार ने नवीन रूप धारण कर लिया है। विकसित देशों की कम्पनियाँ तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पाद जैसे हथियार, हवाई जहाज, आधुनिक प्रौद्योगिकी, मशीनें और प्लान्ट

विकासशील देशों में बेंचने के लिये वहाँ के राजनैतिक एवं नौकरशाहों को कमीशन के नाम पर भारी रिश्वत देती हैं।

## भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण एवं इसके उपाय

आंकड़ों के अनुसार विश्व के अधिकांश देश इस समस्या की चपेट में आ गए हैं– ऐसे में देश के भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है–इस पर अकुंश लगाकर इसे कम अवश्य ही किया जा सकता है। लोक जीवन में भ्रष्टाचार राष्ट्र एवं समाज को पतन की ओर ले जाता है और प्रायः क्रान्ति को जन्म देता है। फ्रांस में लुई चौदहवें के भ्रष्ट शासन के बाद आयी क्रान्ति इसका ज्वलन्त उदाहरण है–अतीत के भारत में भी ऐसे कई अवसर आये हैं– जब आम जनों ने भ्रष्ट शासकों को सत्ताच्युत किया है। इसी तरह आज के सन्दर्भ में भी भ्रष्टाचार पर यथाशीघ्र नियन्त्रण लगाया ही जाना चाहिए। अनेक विद्वानों के मतानुसार – अवैध ढंग से अर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जाये। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों, राजनेताओं के विरूद्ध संविधान के अनुच्छेद 311 के प्राविधानों अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जाये। भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक सशक्त जनआन्दोलन चलाया जाये और जनता को जागरूक बनायें। लोकसभा, विधानसभा आदि के प्रमुख चुनाव में देश के सभी राजनैतिक दल के नेता केवल चरित्रवान, निष्ठावान, राष्ट्रभक्त, कर्मठ लोगों को ही प्रत्याशी बनायें तथा उन्हें भी अपना चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये। चुनाव जीतने की दशा में सरकारी कर्मचारियों की भाँति सांसदों, विधायकों को भी अपनी–अपनी चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये एवं जिसका सार्वजनिक रूप से प्रकाशन भी किया जाये।

इसी सन्दर्भ में विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित तीन प्रमुख सुझावों पर भी ध्यान देना चाहिये। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाकर एकाधिकार शक्तियों को समाप्त किया जाए। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं सुदृढ़ नागरिक संस्था के माध्यम से सामान्य नागरिकों को अधिकार प्रदान किये जायें।

भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम संस्थानों को सुदृढ़ बनायें। भारत के सन्दर्भ में अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग प्रकार की नितियाँ अपनाने की आवश्यकता है जैसे –

- ✓ **प्रशासनिक स्तर** पर नौकरशाही की मनमानी रोकने के लिये नई व्यवस्था **'हायर एण्ड फायर'** सेवा नीति के अन्तर्गत संविदा के आधार पर तीन या पाँच वर्ष की अवधि के लिये ही नौकरी दिये जाने की व्यवस्था नितान्त आवश्यक हो चुकी है।
- ✓ ऐसे नौकरशाहों की सेवाओं का पुनर्नवीकरण राजनेताओं की सहमति से न करके जन–समुदाय की सहमति से किया जाये।
- ✓ अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त पुलिस एवं न्यायिक प्रणाली में भी सुधार आवश्यक है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के जनसंख्या के अनुसार उचित संख्या में की जानी चाहिये ताकि मामले लंबित न हों और अपराधियों को शीघ्र सजा मिल सके एवं पीड़ित को न्याय सुलभ हो सके क्योंकि विलम्ब से प्राप्त न्याय के महत्व पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो जाता है।

- ✓ **आर्थिक क्षेत्र में सुधार के उपाय**–आर्थिक क्षेत्र में उपजा भ्रष्टाचार जो अन्ततः राजनैतिक तथा प्रसाशनिक क्षेत्र में फैलता है– तथा नेताओं के कृत्यों को देखकर तो लगता है कि आर्थिक उदारीकरण ने भारत में भ्रष्टाचार का भी उदारीकरण कर दिया है जिसके नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है।
- ✓ नियन्त्रण को समाप्त करें।
- ✓ व्यापार एवं विनिर्माण में एकाधिकार समाप्त किया जाये।
- ✓ राजकीय सहायता की प्रणाली को समाप्त किया जाये अथवा उसे केवल निर्धन कल्याण के लिये सीमित कर दिया जाये।
- ✓ सरकारी ठेकों में अधिक पारदर्शिता रखी जाये।
- ✓ सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल की गारण्टी न दी जाये।
- ✓ निजी क्षेत्र में उचित प्रतिस्पर्धा को ही बढ़ावा दिया जाये।
- ✓ आज देश में रिस्वत देने वाले हाथों को ही रिस्वत पकड़ने की जिम्मेदारी है।
- ✓ मुक्त बाजार प्रणाली की विक तियों को रोकने के लिये राजनीतिक सुधार और पारदर्शिता के शक्त नियम अनिवार्य हो चुके हैं।

आज दैनन्दिनी जीवन में भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, और हर एक मानव इसके मकड़जाल में उलझा हुआ है, वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है, यदि न्यायपालिका अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करे तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है, साथ ही मानव को यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक बहुत ही कठिन कार्य है और उसके परिपालन में बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना होगा, जो भी हो कोशिश करनी है कि हमारी राजनीति में दागी मंत्री और विधायकों का प्रवेश वर्जित हो, सभ्य लोगों का आगमन हो ताकि सभ्य समाज बन सके, क्योंकि ''यथा राजा तथा प्रजा'' मन्त्री या अधिकारी आमजनों के आदर्श होते हैं तो जैसा वह करते हैं तो लोगों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिलती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मीडिया द्वारा समय–समय पर स्टिंग ऑपरेशन चलते रहने चाहिए। लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। आज बैंकिंग लोकपाल तथा निजी क्षेत्र में टाइम्स ऑफ इण्डिया में लोकपाल सार्थकतापूर्वक कार्यवाही कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में इसकी उपेक्षा हितकर नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान समय में भारत में भ्रष्टाचार रूपी दानव विकराल रूप धारण कर चुका है। वह दिनो–दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो कानून बनाये जाएँ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। कानून लागू करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात् सभी पर यह समान रूप से लागू किया जाय। भ्रष्टाचार अक्सर सम्पन्न एवं पहुँच वाले व्यक्ति ही करते हैं। अतः उनपर भी कानून के दायरे में सख्ती की जाए। इस प्रकार भेदभाव रहित व्यवहार करने से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है वरना यह समाज को दीमक की तरह चाटकर खाक कर देगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आन्दोलन में भाग लेने के साथ–साथ प्रत्येक भारतीय को खुद को सुधारने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ बेइमान घूसखोरी व राजनीतिक ही नहीं भ्रष्टाचार के दयरे में आते हैं। कामचोरी व पेशे से बेइमानी छोड़कर हमें अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

## संदर्भ सूची


1. महाभारत, शांति पर्व–गीता प्रेस गोरखपुर
2. साहित्य अमृत',संपादक, डॉ0 लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, जनवरी 2006, वर्ष 11
3. इंडिया टुडे, जनवरी 2011
4. आउट लुक, दिसम्बर 2010
5. ज्ञान वार्षिकी 2012
6. दैनिक जागरण, आगरा संस्करण 2 जून 2011
7. दैनिक जागरण, आगरा संस्करण 3 जून 2011
8. मूलप्रश्न –सं. वेददान सुधीर – जून अगस्त – 2002
9. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इण्डिया एवं सेन्टर फोर मीडिया स्टडीज–सर्वे रिपोर्ट–2009
10. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988
11. प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन–डॉ0 उमेश सिंह,म.प्र. हिन्दी–ग्रंथ अकादमी, भोपाल–2010